भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1737
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों का डिजिटलीकरण

1737. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी न्यायालयों के डिजिटलीकरण पर गंभीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से डिजिटलीकरण भी सम्मिलित है। ई-न्यायालय का पहला चरण 2015 में संपन्न हुआ था। परियोजना का दूसरा चरण 2015 में शुरू हुआ था, जिसके अधीन अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ अदालतों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

(ख) : 2011-2015 से परियोजना के चरण-I में, कुल 935 करोड़ रुपए के परिव्यय में से, सरकार ने 639.41 करोड़ रुपए का व्यय किया। परियोजना के चरण- II में, जो 2015 में शुरू हुआ, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 31.03.2022 तक 1668.43 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी की है। परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अब तक कुल 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन डिजिटाइज़ किया जा चुका है। न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता में वृद्धि की दिशा में, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, 2973 न्यायालय साइटों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ चालू किया गया है।

ii. मामला जानकारी सॉफ्टवेयर (सीआईएस) जो अनुकूलित फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) ई-न्यायालय सेवाओं पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में जिला न्यायालयों में मामला जानकारी सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 लागू किया जा

रहा है और उच्च न्यायालयों के लिए मामला जानकारी राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 लागू किया जा रहा है।

iii. मामलों के स्मार्ट शेड्यूलिंग में मदद के लिए कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और उपयोगकर्ता मैनुअल भी विकसित किया गया है।

iv.राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 21.74 करोड़ से अधिक मामलों और (01.12.2022 तक) 19.80 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2020 में ओपन एपीआई की शुरुआत लंबित निगरानी और अनुपालन में सुधार के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने के लिए स्थानीय निकायों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों और संस्थागत वादकारियों को अनुमति देने के लिए की गई है।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 अक्तूबर 2022 तक कुल 1..50 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 नवम्बर 2022 तक 17,709 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है। जस्टआईएस मोबाइल ऐप अब आईओएस में भी उपलब्ध है।

vi. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 2.30 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 31 लाख (3167080) से अधिक मामलों में 01.12.2022 तक 337.42 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

vii. भारत का उच्चतम न्यायालय 2,97,435 सुनवाई (लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से 03.09.2022 तक) आयोजित करके एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (7580347 मामलों और अधीनस्थ न्यायालयों 1,65,20,791 मामलों) ने 03.09.2022 तक 2.41 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधाएं भी समर्थ की गई हैं। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग केबिन और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग उपकरण के लिए भी निधियाँ जारी किए गए हैं ।वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं। 1732 दस्तावेज़ विज़ुअलाइज़र के उपापन के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

viii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 31.10.2022 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 16 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-पेमेंट लागू किया है। 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय शुल्क अधिनियम में तारीख 31.10.2022 तक संशोधन किया गया है।

x. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया की सेवा और सम्मन जारी करने के लिए शुरू की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है।

xi. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय: दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

xii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 24 उच्च न्यायालयों में 38 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं।

xiii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 513080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ई-ताल) पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में कुल 639 करोड़ ई-लेनदेन के साथ ई-न्यायालय भारत में शीर्ष 5 एमएमपी में अग्रणी है।

(ग) : उपरोक्त (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****